फर्द अहकाम

बंशीधर बनाम कृष्ण कुमार

ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 74/2021।

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 21/11/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब बैठक अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 9/1/24 को पेश हो।	
09/01/24	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सनातन पारीक उपस्थित। तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू.अ./2024/61 दिनांक 05/01/2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पूर्व मे प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद की अंतिम डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुनने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पक्षकार मौके पर उपस्थित थे एवं विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए न्यायहित को ध्यान मे रखते हुये तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05/01/2024 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा	

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

वंशीधर बनाम कृष्ण कुमार

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 74/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		नम्बर 13. रकबा 1.2771 हैक्टे स्थित ग्राम रामपुरावास दुथली प.ह. दूबली तह- बस्सी जि. जयपुर मैसे खसरा न. 13/3 रकबा 0.60 हैक्टर की भूमि खातेदार वंशीधर पुत्र मथुरालाल जाति हरि. ब्राह्मण सा. सुजानपुरा के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 13/1 रकबा 0.34 हैक्टे, खसरा न. 13/4 रकबा 0.26 हैक्टे कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टे की भूमि खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र घनश्याम हि. 1/8 रमेशचन्द पुत्र घनश्याम हि. 1/8 राहिन युनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा बस्सी बाबूलाल पुत्र बदरी हि. 1/4 शंकर पुत्र बदरी हि. 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बस्सी लक्ष्मीनारायण पुत्र बदरी हि. 1/4 राहिन युनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा बस्सी जाति हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी एवं खसरा न. 13/2 रकबा 0.0771 हैक्टे कि भूमि सामलाती रहेगी। तहसीलदार बस्सी उपरानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भेजे जावें। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/01/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

...ज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

...ठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बंशीधर पुत्र मथुरालाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम सुजानपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।		1. कृष्ण कुमार पुत्र घनश्याम 2. बाबू पुत्र बदरी 3. रमेशचन्द पुत्र घनश्याम 4. लक्ष्मीनारायण पुत्र बदरी 5. शंकर पुत्र बदरी समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम रामपुरावास दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर। 7. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 74/2021

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 13 रकबा 1.2771 है. स्थित ग्राम रामपुरावास दूधली प.ह. दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 13/3 रकबा 0.60 है., की भूमि खातेदार बंशीधर पुत्र मथुरालाल जाति हरि. ब्राहमण सा. सुजानपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 13/1 रकबा 0.34 है., ख.नं. 13/4 रकबा 0.26 है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है., की भूमि खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र घनश्याम हि. 1/8 रमेशचन्द पुत्र घनश्याम हि. 1/8 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी बाबूलाल पुत्र बदरी हि. 1/4, शंकर पुत्र बदरी हि. 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा बस्सी लक्ष्मीनारायण पुत्र बदरी हि. 1/4 राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी जाति हरि. ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 13/2 रकबा 0.0771 है. की भूमि सामलाती रहेगी। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। ....निजी..................मुबलिक......................बाबत.................................. .....खर्चा.......................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..................................

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

ओहदा...............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी, जयपुर ग्रामीण